Document related to provide Human Assistant to Disabled Person in the examination

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

ATAL BIHARI VAJPAYEE VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (CHHATTISGARH)

website: www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक /3274/ परीक्षा–गोपनीय / 2020 दिनांक 29/02/ 2020

—:: आवश्यक निर्देश ::—

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रकार के "40 प्रतिशत् से अधिक दिव्यांगता वाले छात्रों" से संबधित आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) के पत्र क्र./13/आ.उ.शि./2020 रायपुर दिनांक 28.01.2020 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश का पालन करते हुए दिव्यांग छात्र–छात्राओं को निम्नानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

01. महाविद्यालयो मे दिव्यागजनों हेतु Scribe Panel (सह–लेखक) एवं Reader / Lab Assistant का समूह (Panel) बनावे जिससे कि दिव्यागजनों को सह लेखक की व्यवस्था उपलब्ध कराने में सुविधा हो सके, यह जिम्मेदारी प्रथमतः महाविद्यालय की होगी एवं उपलब्ध न होने पर छात्र स्वयं से सह–लेखक उपलब्ध करा सकता है।
02. दिव्यांगजनों, जो सह–लेखक की सहायता नही लेते हैं और यदि अतिरिक्त समय की मांग करते हैं तो उन्हे प्रत्येक घंटे मे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाकर 3 घंटे के प्रश्नपत्र में अधिकतम 01 घंटा अतिरिक्त समय दिया जावे।
03. समस्त दिव्यांगजनों को परीक्षाओ मे भूतल पर स्थित कक्षाओं मे ही परीक्षा देने की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित् करे।
04. दिव्यागजनों को एक कक्षा नीचे योग्यताधारी सह–लेखक ही उपलब्ध करायें।
05. दिव्यांगजनों के सह–लेखक मांगे जाने पर एक दिन पूर्व ही उनसे परिचित कराकर उन्हें समझने का अवसर दें।
06. आवश्यक होने पर ही अलग–अलग प्रश्न पत्र हेतु दिव्यांगजनों के मांगे जाने पर अलग–अलग सह–लेखक उपलब्ध कराया जावे। उनके इच्छा के विपरित, जो पूर्व से उपलब्ध हैं, उसे दोबारा / पुनः उपलब्ध कराने / करने हेतु बाध्य न करें।
07. इस संबंध मे समस्त अधिकार प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष को होगा। कृपया ऐसे प्रकरण विश्वविद्यालय को प्रेषित ना करें।
08. दिव्यागजन / सह–लेखक (Scribe) हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे–

(A). दिव्यांगजन :
- (i) दिव्यागता प्रमाण–पत्र (अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित)
- (ii) प्रवेश पत्र की छायाप्रति
- (iii) आधार कार्ड / पहचान पत्र की छायाप्रति प्रति
- (iv) सह–लेखक उपलब्ध कराने संबंधी प्राचार्य / केन्द्राध्यक्ष को संबोधित आवेदन पत्र।

(B). सह–लेखक :
- (i) पासपोर्ट साईज वर्तमान का एक फोटो
- (ii) आधार कार्ड / पहचान पत्र की छायाप्रति प्रति
- (iii) अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की छायाप्रति।
- (iv) 10वी की अंकसूची की छायाप्रति।
- (v) अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का शपथ–पत्र (सादे कागज मे)

नोटः– राज्य शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के तहत् उक्त सूचना परिवर्तनीय होगी।

संलग्नः– आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी पत्र / दिशा–निर्देश ।

कुलसचिव

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय,

बिलासपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Dr. Indrajeet Singh
College, Akaltara
Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

पृ. क्रमांक / 3275/ परीक्षा–गोपनीय / 2019 दिनांक 29/02/2020

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन, मंत्रालय, अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया महाविद्यालय के सूचना पटल पर छात्र / छात्राओं के अवलोकन हेतु चस्पा करावें।
4. संपादक / संवाददाता, दैनिक .... समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि छात्रहित में इसे विज्ञप्ति के रूप मे अपने समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. विश्वविद्यालय सूचना पटल / वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

परीक्षा नियंत्रक

PRINCIPAL
Govt. Dr. Indrajeet Singh
College, Akaltara
Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–03, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
e-mail:highereducation.cg.gmail.com, website:highereducation.cg.gov.in

क्र 13 /आ.उ.शि / 2020

रायपुर, दिनांक 28/01/2020

प्रति

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़।

प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :– दिव्यांगजनों के शैक्षणिक परीक्षाओं के संबंध में निर्देश।

संदर्भ :– 1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 153 / आउशि / 2019 दिनांक 16.12.2019.

2. आर.पी. डब्ल्यू. डी. एक्ट 2016 एवं छत्तीसगढ़ निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम 2018।

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से / भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक एफ 34–02 / 2015DD-III दिनांक 29.8.2018 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 6–2 / 2013(एससीटी) दिनांक 14.1.2019 की प्रति भेजते हुए बैंच मार्क दिव्यांगता रखने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा हेतु विशेष सुविधा प्रदान करने तथा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध में आपके विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शैक्षणिक परीक्षा देने वाले समस्त दिव्यांगजनों के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. दिव्यांगजन जो 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अन्तर्गत (40 प्रतिशत से अधिक) अंधत्व (Blindness), दृष्टि, श्रवण, वाणी, गति तथा मानसिक रूप से पीड़ित (Locomotors Disability), दिमागी असमर्थता (Cerebral Palsy) की श्रेणी में आते है को विश्वविद्यालयीन शैक्षणिक परीक्षाओं में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर का उपयोग कर परीक्षा देने का प्रावधान है। इस हेतु उपलब्ध साफ्टवेयर को शैक्षणिक संस्थाओं के कम्प्यूटर में उपलब्ध करावें तथा वे सभी दिव्यांगजन जो कम्प्यूटर का उपयोग करने में सक्षम हों उन्हें यह सुविधा प्रदान की जावे।
2. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों हेतु Scribe Panel (सह–लेखक का समूह) बनावें जिससे कि दिव्यांगजनों को सह–लेखक की व्यवस्था उपलब्ध कराने में सुविधा हो सके।

PRINCIPAL
Govt. Dr. [illegible] Singh [illegible]
College [illegible]
Distt. Janjgir [illegible] (C.G.)

3. दिव्यांगजनों को जो सह- लेखक की सहायता नहीं लेते है एवं यदि अतिरिक्त समय की मांग करते है तो उन्हें प्रत्येक घंटे में 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाकर 3 घंटे के प्रश्नपत्र में अधिकतम 1 घंटा अतिरिक्त समय दिया जाये।
4. समस्त दिव्यांगजनों को शैक्षणिक परीक्षाओं में भूतल पर स्थित कक्षों में ही परीक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

आप अपने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में इसका कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

28/1

(श्रीमती शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/14/आउशि/2019

नवा रायपुर, दिनांक -28/01/2020

प्रतिलिपि

1. सचिव छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
3. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. अपर संचालक, क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर एवं जगदलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/1

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. Dr. Indrajeet Singh
College, A[illegible]ara
Distt. Janjgir-Champa (C.G.)

Geo Tag Photographs of facilities provided to Disabled Persons

Barrier free entry **Ramp**

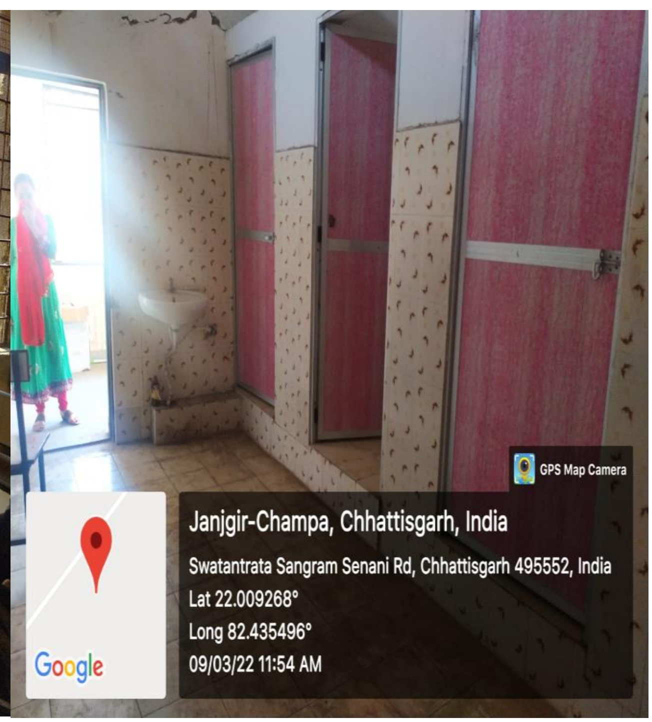

Sitting on the ground floor for class & Exam **Washroom on the ground floor**